

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्या:-331/2015 (2015/00324)223/केकड़ी

1. प्रहलाद दास पुत्र बालदास जाति साधू निवासी जूनियों तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015, वाद संख्या 199/2012 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी।

उपस्थित:-

5. श्री महेन्द्र सिंह चौहान एडवोकेट अपीलांट की ओर से।
6. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोंडेन्ट संख्या 01की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 31.10.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के वाद संख्या 199/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।
02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जूनिया तहसील केकड़ी के खसरा नम्बर 3662,मिन, 3662 मिन, 3663, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673/6013, 3674, 5127, 5130/6020, 5131/6021 बाबत् पेश कर कथन किया वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का पुश्तैनी कब्जा काश्त होने से आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी द्वारा विचाराधीन था उसी दौराने ग्राम जूनिया में लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें उक्त पत्रावली दिनांक 29.06.2015 को आदेश 18 एवं 20 जा.दी. के प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए विधि विरुद्ध आदेश पारित करते हुए वाद को दिनांक 29.06.2015 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोंडेन्टस की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलाधीन भूमि का मौके पर वादी के पूर्वजों के समय से अर्सा करीब 40 वर्षों से अपीलांट निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं एवं उक्त भूमि पर वादी कृषि कार्य कर अपने व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता आ रहा हैं अपीलांट भूमिहीन कृषक हैं, जिसके परिवार का जीविकोपार्जन कृषि व कृषि मजदूरी पर आधारित हैं। अपीलांट के विरुद्ध लगातार 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जाती रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद कायमी तनकीयात एवं साक्ष्य वादी में नियत था लेकिन आदेश 18 एवं 20 जा.दी. के प्रावधानों

- की पालना होने से पूर्व ही पत्रावली कैम्प कोर्ट जूनिया में ले जाई गई एवं वाद पत्र को निरस्त फरमा दिया गया, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल निरस्त योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 29.06.2015 निरस्त फरमा जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे वाद में कायमी तनकीयात, साक्ष्य ग्रहण की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।
5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज हैं तथा सावर्जनिक प्रयोजनार्थ की हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।
6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंगन नायब तहसीलदार, कादेड़ा का जवाब मे विवादित आराजी जमाबंदी सम्वत 2065-2068 के अनुसार सरकारी भूमि है तथा वादी की भूमि किस्म जमाबंदी में गैर मुमकिन खढ़डा, गैर मुमकिन नाड़ी, गैर मुमकिन पाल आदि के रूप में दर्ज हैं तथा वादी की समस्त भूमि पर मौके पर खसरा नम्बर 3673/6013 रकबा 0.17 हैक्टर गैर मुमकिन नाड़ में पानी आवक का क्षेत्र होने की वजह से मौके पर नाड़ी के पाईथन के रूप में काम आ रही है। अपीलाधीन भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होने के कारण एवं गैर मुमकिन खढ़डा, गैर मुमकिन नाड़ी, गैर मुमकिन पाल आदि की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् खातेदारी नहीं दी सकती का कथन किया हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट को वाद में सुनवाई का समुचित अवसर व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया हैं इस प्रकार उपरोक्त भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी योग्य नहीं होने के कारण वाद का विधि सम्मत खारिज किया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं और अपील निरस्त योग्य है।
7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2015 यथावत् रखा जाता हैं।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर